

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

कमांक 2160/2173/2009/2-38

भोपाल, दिनांक 21/10/09

प्रति,

1. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. अतिरिक्त संचालक, समस्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश।


विषय :- हड़ताल की अवधि का वेतन आहरित न करने के संबंध में।

—00—

माह सितम्बर 2009 में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय संवर्गों के द्वारा पृथक-पृथक अवधि में हड़ताल की गई है।

अतः आदेशानुसार अनुरोध है कि शासन के आगामी आदेश तक हड़ताल पर गये अधिकारियों/कर्मचारियों का हड़ताल अवधि का वेतन आहरित न किया जावे। सितम्बर माह में हड़ताल अवधि को छोड़कर शेष अवधि का वेतन ही आहरित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


20/10/09
उप सचिव

म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग


भोपाल, दिनांक 21/10/09

कमांक 2161/2173/2009/2-38

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
 3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 4. कम्प्यूटर कक्ष उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर वेबसाइट पर लोड करने हेतु प्रेषित।
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- यथोपरि.


20/10/09
उप सचिव

म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग